भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF REVENUE
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निवारक)
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE)
नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620 001
NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI– 620 001
दूरभाष / फैक्स: 0431-2418819::E-mail: cuspoltry@gmail.com

सी.सं.VIII/09/03/2017-सीशु नीति अं फा 1 दिनांक 01.02.2018

सार्वजनिक सूचना सं.: 01/2018 दिनांक 11.01.2018 का स्पष्टीकरण

विषय: सीमा शुल्क (निवारक) जोन, तिरुच्चि के पुनर्गठित क्षेत्रीय फार्मेशनों का अधिकारिता - कुछ स्पष्टीकरण - के बारे में ।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना सं. 01/2018 दिनांक 11.01.2018 की ओर आयातक, निर्यातक, सीमा शुल्क ब्रोकर, अभिरक्षक, व्यापार एवं अन्य हितधारकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

2. निर्यात के लिए एलयूटी या बांड के निष्पादन के संबंध में व्यपार समूह द्वारा यह शंका उठाया गया है कि एलयूटी या बांड को स्वीकृत करने के लिए उचित प्राधिकारी कौन है । इस संबंध में यह देखा गया है कि सीजीएसटी नियमावली के नियम 96ए के तहत एलयूटी या बांड के निष्पादन पर आइजीएसटी की अदायगी के बिना माल के निर्यात का प्रावधान है । सीबीईसी की जीएसटी नीति शाखा द्वारा जारी परिपत्र सं 8/8/2017-जीएसटी के पैरा 2(1) अन्य बातों के साथ साथ यह भी बताता है कि

"अधिकारिता वाले अधिकारी : सीजीएसटी अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा बताया जाता है कि एलयूटी/बांड निर्यातक के प्रधान कारोबार स्थान पर अधिकारिता वाले क्षेत्राधिकारी उप/सहायक आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जाएगा । <u>संबंधित प्राधिकारी को करदाताओं को समनुदेशित करने का प्रशासनिक तंत्र लागू करने तक निर्यातक या तो केन्द्रीय कर प्राधिकारी या राज्य कर प्राधिकारी के सम्मुख एलयूटी/बांड प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है ।"</u>

3. उपरोक्त के कारण यह स्पष्ट किया जाता है कि आइजीएसटी की अदायगी के बिना माल के निर्यात के प्रयोजनार्थ एलयूटी या बांड का निष्पादन अधिकारिता वाले जीएसटी प्राधिकारियों के सम्मुख ही किया जाना है ।

4. सार्वजनिक सूचना के पैरा 4 के अनुसार विभिन्न सीमा शुल्क काम, जो अभी तक जीएसटी फार्मेशन द्वारा किए गए थे, को सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के अधिकारियों द्वारा किए जाने के आदेश दिए गए थे । तदनुसार सार्वजनिक सूचना सं. 01/2018 दिनांक 11.01.2018 के क्रम सं 2 एवं 6 में उल्लिलखित फार्मेशनों की अधिकारिता में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं ।

Scanned by CamScanner

5. **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क फार्मेशान काम को विभिन्न सीमा शुल्क मंडलों को समनुदेशित करना** : सार्वजनिक सूचना की तालिका के पैरा 4 को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

क्रम सं	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क फार्मेशन का नाम	किसको सीमा शुल्क काम हस्तांतरित किया जाना है
	पुदुच्चेरी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी आयुक्तालय (माहे, येनम और कारैकाल क्षेत्र छोडकर)	सहायक आयुक्त , सीमा शुल्क मंडल,कडलूर 60, मोहन सिंह स्ट्रीट,कडलूर 607003. फोन 04142-227498/227124/237821 फेक्स -238498 ईमेल : :cusdncud@gmail.com
2	तिरुच्चि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी आयुक्तालय - कडलूर मंडल, तंजावूर मंडल के तंजावूर ।। रेंज, कुंभकोणम रेंज, तिरुवारूर रेंज छोडकर	सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क मंडल, तिरुच्चि बी विंग, तीसरा तल, नं 1 विल्लयम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि 620001 फोन 0431-2461904, 2410550 फेक्स 2411961 ईमेल :cusdvntry@gmail.com
3	तिरुच्चि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी आयुक्तालय का कडलूर मंडल	सहायक आयुक्त , सीमा शुल्क मंडल,कडलूर 60, मोहन सिंह स्ट्रीट,कडलूर 607003. फोन 04142-227498/227124/237821 फेक्स -238498 ईमेल :cusdncud@gmail.com
4	पुदुच्चेरी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी आयुक्तालय का कारैकाल मंडल एवं तिरुच्चि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी आयुक्तालय के तंजावूर ।। रेंज, कुंभकोणम रेंज, तिरुवारूर रेंज	सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क मंडल, नागपट्टिनम, नं 4, फर्सट लाइन बीच रोड, नागपट्टिनम611001. फोन 04365-242791फेक्स - 04365-242716,242271 ई-मेल - accustomsnagai@yahoo.in

मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि के अनुमोदन से यह जारी है ।

अशोक

(अशोक)

आयुक्त

सेवा में,

1. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि.
2. प्रधान मुख्य आयुक्त, जीएसटी, चेन्नै ।

प्रतिलिपि प्रस्तुत:

1. आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी, चेन्नै (बाहर) ।
2. आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी, कोयम्बत्तूर ।
3. आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी, मदुरै ।
4. आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी, पुदुच्चेरी ।
5. आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी, सेलम ।
6. आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी, तिरुनेलवेली ।
7. आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी, तिरुच्चि ।
8. मेलिंग सूची के अनुसार/ ईडीआइ अनुभाग को आयुक्तालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु)

Scanned by CamScanner